न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/137 **दायरा दिनांक : 23.11.2021**

उनवान

हंसराज नागर पुत्र श्री मोहनलाल जी नागर, आयु 52 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम बामला, तहसील एवं जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– कृष्णा बाई बेवा स्व0 श्री हर्षवर्धन, आयु 48 वर्ष, जाति ब्राहमण,
2– विशाल पुत्र स्व0 श्री हर्षवर्धन, आयु 23 वर्ष, जाति ब्राहमण,
3– आदित्य पुत्र स्व0 श्री हर्षवर्धन, आयु 21 वर्ष, जाति ब्राहमण,
4– प्रीति पुत्री स्व0 श्री हर्षवर्धन, आयु 19 वर्ष, जाति ब्राहमण,
निवासीगण ग्राम बामला, तहसील एवं जिला बारां (राज0)
5– राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 29.04.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – A167/2014 दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बामला, पटवार क्षेत्र बामला की आराजी जमाबंदी सम्वत 2068–2071 की जमाबंदी संख्या नया 531 पुराना 504 की आराजी खसरा नं. 610 रकबा 0.09 हेक्टर लगानी 0.72 पैसे स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 से वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध पत्रावली पर आये तथ्यों एवं सामान्य न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों एवं अपीलांट की साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया, जबकि ग्राम बामला की आराजी खसरा नं. 610 रकबा 0.09 हेक्टर आराजी के आस–पास के सभी खसरा नम्बरान वादी के सहखातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नं. 610 की आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी, इस कारण अपीलांट उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज नहीं करवा पाया, जबकि उक्त आराजी पर करीब 70 वर्षों से अपीलांट के पिता का तथा उनके देहावसान के उपरान्त अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नाला से नाकाबिल काश्त सिवाय चक दर्ज कर दी गई तथा उसके पश्चात हर्षवर्धन के खाते दर्ज कर दी गई, जबकि न तो हर्षवर्धन को उक्त आराजी का दखलनामा दिया गया, न ही मौके पर कब्जा संभलाया गया, तथा हर्षवर्धन द्वारा भी उसके जीवनकाल में कभी भी उक्त आराजी पर किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं की गई तथा हर्षवर्धन के देहावसान के पश्चात भी रेस्पोडेंटान का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलॉटमेंट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय उक्त निर्णय में यह अंकित कर दिया कि दिनांक 17.12.1996 को श्रीमान् जिला कलेक्टर, बारां द्वारा बउनवान हरिमोहन बनाम हर्षवर्धन के विरूद्ध 14(4) लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अनुसार अपील खारिज कर दी गई है। जबकि उक्त प्रकरण में हरिओम पक्षकार नहीं था, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत अजीजुर्रहमान बनाम सरकार के प्रकरण में यह निर्देशित किया गया है कि गैर मुमकिन नाला किस्म को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हर्षवर्धन को त्रुटिपूर्ण तरीके से आवंटित कृषि आराजी खसरा नं. 610 रकबा 0.09 हेक्टर का खातेदार मानकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जबकि हर्षवर्धन एवं उसके वारिसान को उक्त कृषि आराजी के संबंध में न तो किसी प्रकार की कोई जानकारी है और न ही उक्त आराजी पर कभी भी उनका कब्जा काश्त रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी खसरा सं. 610 रकबा 0.09 हैक्टयेर पर अपीलांट का कब्जा 1955 से पूर्व से है। अतः लम्बे समय से कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर उक्त आराजी अपीलांट के खाते दर्ज की जावे। अपीलांट द्वारा नजरी नक्शा, जमाबंदियां प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलांट द्वारा 1955 से पूर्व के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये हैं लेकिन अपीलांट द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

रेस्पोडेंट को उक्त भूमि आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी में भूमि दर्ज हुई, तत्पश्चात् कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज होती है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट को खातेदार भी दर्ज किया जा चुका है। उक्त आवंटन निरस्ती हेतु अपील जिला कलेक्टर, बारां के समक्ष की गयी, जिसे सिद्ध नहीं कर पाने से जिला कलेक्टर द्वारा अपील निरस्त कर दी गयी। हमारी राय में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, जिससे अपील के तथ्य सिद्ध होते हो। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार देना राजस्व न्यायालय का कार्य नहीं है तथा विधि द्वारा वर्जित है। यहां पर एक तथ्य यह भी उठाया है कि गैर मु0 नाला को सिवायचक नाकाबिल काश्त बनाते हुए आवंटन किया गया है। इस कथन के समर्थन में भी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधि अनुसार होने से अपील को खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/04/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– हंसराज नागर पुत्र श्री मोहनलाल जी नागर, आयु 52 वर्ष, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बामला, तहसील एवं जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट्स**

बनाम

1– कृष्णा बाई बेवा स्व0 श्री हर्षवर्धन, आयु 48 वर्ष, जाति ब्राहमण,
2– विशाल पुत्र स्व0 श्री हर्षवर्धन, आयु 23 वर्ष, जाति ब्राहमण,
3– आदित्य पुत्र स्व0 श्री हर्षवर्धन, आयु 21 वर्ष, जाति ब्राहमण
4– प्रीति पुत्री स्व0 श्री हर्षवर्धन, आयु 19 वर्ष, जाति ब्राहमण,
निवासीगण ग्राम बामला, तहसील एवं जिला बारां (राज0)
5– राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (राज0)

.... **रेस्पोडेंट्स**

अपील नं **2021/137**
मु.द.नं0 **A167/2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **30.09.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **15 माह 04** सन् **2024**

श्री **जितेन्द्र चौरसिया** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **29 माह 04 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)